समाहरणालय, मुंगेर

(जिला निर्वाचन कोषांग,नगर निकाय, मुंगेर)

आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक न.नि0 50-13/2012-687 दिनांक 17.02.2012 द्वारा नगर पालिका आम चुनाव 2012 का संभावित कार्यक्रम निम्न प्रकार संसूचित किया गया है-

1. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-11 में सूचना का प्रकाशन- 16.04.2012
2. मतदान की तिथि - 16.05.2012
3. मतगणना की तिथि - 18.05.2012

मुंगेर जिला में सम्प्रति नगर परिषद जमालपुर एवं नगर पंचायत हवेली खड़गपुर में वार्ड पार्षदों का चुनाव होना है। नगर निगम मुंगेर का चुनाव इसके तुरंत बाद संभावित है।

अतः चुनाव की प्रारंभिक तैयारी ससमय पुरा किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त मुंगेर के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में निम्न प्रकार विभिन्न कोषांगों का गठन किया जाता है। उनका यह दायित्व होगा कि सभी कोषांगों के प्रतिदिन के कार्यो की समीक्षा कर अद्योहस्ताक्षरी को इससे अवगत कराते हुए दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।

1. कार्मिक कोषांग

इस कोषांग का गठन आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 के लिए कार्मिक/पदाधिकारी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दल, गश्तीदल, दण्डाधिकारी, सेक्टर दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार अन्य कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु जिलान्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सूची इस कोषांग द्वारा प्राप्त कर इनका नियुक्ति पत्र तैयार कर इसका तामिला कराना इस कोषांग का मुख्य दायित्व होगा। इस संदर्भ में यह निदेश दिया जाता है कि निर्वाचन की तिथि से कम से कम 20 दिन पूर्व चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र का तामिला निश्चित रूप से करा दिया जाय ताकि इन कर्मियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण तीन चरणों में दिलाया जा सके।

मतदान दलों के गठन में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि मतदान कर्मी का गृह प्रखंड एवं पदस्थान का प्रखंड प्रतिनियुक्ति स्थल से भिन्न प्रखंड हो।

गश्तीदल दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सब जोनल दण्डाधिकारी के लिए भी नियुक्ति पत्र तैयार करना और इनका तामिला कराने का कार्य इस कोषांग के जिम्में होगा। नियुक्त दण्डाधिकारियों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त रूट चार्ट प्रतिवेदन के आधार

पर मतदान केन्द्रवार जिला मुख्यालय को केन्द्र मानते हुए इस कोषांग द्वारा रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। इन दण्डाधिकारियों को जिस तिथि को योगदान देने हेतु जिला मुख्यालय बुलाया जायेगा उस तिथि को ही उन्हें अग्रिम यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार सहायकों एवं नाजिरों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगें। सभी नियुक्ति पत्र के तामिला के लिए आवश्यकता एवं अधियाचना के आलोक में वाहन कोषांग द्वारा वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

मतदान कर्मियों को यात्रा भत्ता अग्रिम भुगतान की देय राशि की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से लेने के बाद तदनुसार नगर परिषद जमालपुर एवं नगर पंचायत खड़गपुर की राशि की गणना कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को राशि उप आवंटित की जायेगी। इसका भुगतान कार्मिकों को उनके योगदान देने वाले निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। वरीय उप समाहर्त्ता कार्मिक कोषांग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भुगतेय राशि का आकलन कर सभी निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु विवरणी वितरण की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को भेज देंगे ताकि भुगतान हेतु राशि उपलब्ध ससमय करायी जा सके। अग्रिम का भुगतान संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मतगणना हेतु पदाधिकारियों/ पर्यविक्षकों/सहायकों/अनुसेवकों का नियुक्ति पत्र तैयार करना एवं तामिला कराना आदि भी इसी कोषांग का दायित्व होगा। यह कोषांग समाहर्त्ता के न्यायालय कक्ष में कार्यरत रहेगा।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों एवं अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है:-

<u>पदाधिकारी गण</u>

1. श्री आलोक कुमार, स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर।
2. श्री पंकज झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर।
3. श्री अरूण कुमार कुमर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर।

<u>कार्मिक</u>

1. श्री विद्याशरण प्रसाद, उच्च वर्गीय लिपिक जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
2. श्री जगनारायण राय, लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
3. श्री निरंजन कुमार, लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
4. श्री प्रवीण कुमार, लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
5. श्री राघवेन्द्र नारायण सहाय सहा0 शि0 बालक मध्य विद्यालय, लल्लु पोखर मुंगेर।
6. श्री नवल किशोर यादव सहा0 शि0 क0म0वि0 मनियाचौराहा।
7. श्री मो0 शमशेर अहमद सहायक शिक्षक, उर्दू मध्य वि0 हाजीसुबहान।

<u>अनुसेवक</u>

1. श्री नारायण दास, कार्यालय परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
2. श्री रामजी राम, कार्यालय परिचारी, जिला भू-अर्जन कार्यालय, मुंगेर।
3. श्री कार्तिक यादव कार्यालय परिचारी जिला विधि शाखा,मुंगेर।

1. श्री विजय कुमार सिन्हा, व्याख्याता जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर।
2. श्री सुरेन्द्र मंडल, कार्यालय परिचारी, जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर।

इसके अतिरिक्त चुनाव व्यय लेखा कोषांग, निर्वाचन प्रेक्षक कोषांग सुरक्षाबल कोषांग, नियंत्रणकक्ष कोषांग, का गठन आवश्यकता के आलोक में बाद में किया जायेगा।

सम्प्रति सभी गठित कोषांग तत्काल प्रभाव से क्रियाशील हो जायेंगे। दैनिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन से प्रतिदिन संध्या 07:00 बजे तक सभी प्रभारी पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

निर्वाचन कार्यो के निष्पादन के क्रम में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कार्मिक अपने अपने विभाग से संबंधित रुटिन (सामान्य) कार्यो का भी निष्पादने करते रहेंगे, ताकि सरकारी कार्यो की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

27/03/12

जिला पदाधिकारी,
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निकाय)
मुंगेर।

ज्ञापांक: 32 /पं0, दिनांक: 27-3-2012

प्रतिलिपिः सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कार्मिकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/03/12

जिला पदाधिकारी,
अ–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर निकाय),
मुंगेर।

d:\shahla\nagar paalika election 2012\order_koshanggathan_17.03.2012.doc